(202)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ एवं वन बल प्रमुख

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–827/8092 दिनांक 21/12/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Bilaspur Division" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 6.897 ha. regarding**
पंजीयन कमांक– FP/CG/OFC/42622/2019

संदर्भः– 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ – 5–14/ 2020/ 10–2 दिनांक 14.12.2021
2. कार्यालयीन पत्र /क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–827/ 2789 दिनांक 12.11.2021

※※※※※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र –1 के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 8 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी। उक्त जानकारी कार्यालयीन संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से प्रेषित की गई थी। बिन्दु क्रमांक–8 की जानकारी पुनरीक्षित कर पुनः प्रेषित किया जा रहा है। बिन्दु क्रमांक 1 से 7 की जानकारी यथावत रहेगी।

क्र.	त्रुटियों का विवरण	निराकरण/स्पष्टीकरण
8 (I)	विषयांतर्गत मूल प्रस्ताव (आपके पत्र दिनांक 18.08.2020 अनुसार) में दिया गया वन क्षेत्र विवरण अनुसार वन विकास निगम के अंतर्गत प्रभावित कुल 7 वन कक्ष है अथवा वन विकास निगम के पत्र क्र. 3583 दिनांक 12.03.2021 अनुसार कुल 18 वन कक्ष वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत है।	मंडल प्रबंध, कोटा परियोजना मंडल बिलासपुर द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक विभाग द्वारा सर्वप्रथम 07 वन कक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गयी थी, तदानुसार 07 वन कक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया था। तत्पश्चात् वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत 18 वन कक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गयी, जिसके आधार पर मंडल प्रबंध, कोटा के कार्यालयीन पत्र क्र./3583 दिनांक 12.03.2021 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
(II)	आपके मूल प्रस्ताव (पत्र दिनांक 18.08.2020) में दिये गये वन क्षेत्र विवरण तथा वनमण्डलाधिकारी के पत्र क्र. 1385 दिनांक 01.03.2021 में दिये गये वन क्षेत्र विवरण में त्रुटियां परिलक्षित हो रही है।	योजना के मूल वन प्रकरण प्रस्ताव अंतर्गत वन क्षेत्र का रकबा 6.897 हे. है परंतु आवेदक विभाग द्वारा वनमंडलवार/परिक्षेत्रवार वन क्षेत्र के कक्षों का विवरण त्रुटिपूर्ण दर्शाया गया था। जिसे सुधार कर दिया गया है।
(III)	प्रस्ताव में बार–बार पत्राचार के बावजूद आवेदित वन कक्षों की स्पष्ट स्थिति तथा वन विकास निगम	आवेदक विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व प्रस्ताव (दिनांक 18.08.2020) में प्रस्तुत किया गया वन क्षेत्र का विवरण त्रुटिपूर्ण

क्र.	त्रुटियों का विवरण	निराकरण / स्पष्टीकरण
	से वांछित सही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं की जा रही है जिससे प्रकरण के निराकरण में अनावश्यक विलंब हो रहा है,। कृपया संबंधितों को स्पष्ट निर्देश प्रस्तावित कर शीघ्र जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें।	था। संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाईटी (चिप्स) रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र./551/समुकाअ/चिप्स/2021 दिनांक 09.03.2021 द्वारा सुधार कर जानकारी प्रस्तुत की गयी है। उक्त पत्र द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार वनमंडल बिलासपुर के पत्र क्र./428 दिनांक 19.03.2021 द्वारा पुनरीक्षित जानकारी प्रस्तुत की गयी है जिसमें वन कक्षों की स्थिति स्पष्ट है। तद्‌नुसार वन विकास निगम के 18 वन कक्षों का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है **(संलग्नक–1)**।
(IV)	पूर्व मूल प्रस्ताव में (पत्र दिनांक 18.08.2020) आवेदित वन क्षेत्र में आरक्षित वन का रकबा 2.925 हे., संरक्षित वन कक्ष का रकबा 2.739 हे, नारंगी वन क्षेत्र का रकबा 0.805 हे. तथा राजस्व वन रकबा 428 हे. या वहीं आपका संदर्भित पत्र क्र. 07 के माध्यम से प्रेषित वन क्षेत्र की वन में आरक्षित वन भूमि का रकबा 1.002 हे. संरक्षित वन भूमि का रकबा 4.720 हे., नांरगी वन भूमि का रकबा 0.474 हे. एवं राजस्व वन भूमि का रकबा 0.428 हे. दर्शाया गया है। कृपया यह परीक्षण करें कि यह त्रुटि क्यों हुई? क्या पूर्व में कराया गया DGPS सर्वे त्रुटिपूर्ण हो नहीं है तथा यदि एरिया स्टेटमेंट बदलना है तो क्षेत्र की पुनः DGPS सर्वे कराया जाने की आवश्यकता तो नहीं होगी ?	आवेदक विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव के पुनः परीक्षण उपरांत मंडल प्रबंधक, कोटा परियोजना मंडल, व.वि.नि.लि. बिलासपुर के अधीनस्थ वन कक्षों तथा सामान्य वन मंडल के वन कक्षों के विवरण में संशोधन के परिणाम स्वरूप वन भूमि के मदवार स्थिति में संशोधन किया गया है जो अंतिम रूप से निम्नानुसार है :– कोटा परियोजना मंडल, व.वि.नि.लि. बिलासपुर – 1.906 हे. बिलासपुर वनमण्डल (सामान्य) – 4.863 हे. एवं राजस्व वन रकबा – 0.428 हे. आवेदित कुल वन भूमि का रकबा – 6.897 हे. **<u>मदवार स्थिति</u>** – आरक्षित वन भूमि का रकबा – 1.002 हे. संरक्षित वन भूमि का रकबा – 4.720 हे. नारंगी वन भूमि का रकबा – 0.747 हे. एवं राजस्व वन रकबा – 0.428 हे. आवेदित कुल वन भूमि का रकबा – 6.897 हे. उक्त प्रस्ताव में केवल वन कक्षों के परिक्षेत्र या वन भूमि के मद विवरण के सम्बन्ध में त्रुटि हुई है जिसे संशोधित किया जा चुका है। कक्षों के कमांक या प्रभावित वन भूमि के लंबाई तथा रकबा में किसी तरह की त्रुटि परिलक्षित नहीं हुई है अतः डी.जी.पी.एस. सर्वे पुनः कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।
(V)	अतः प्रस्ताव का भलीभांति परीक्षण कर प्रस्ताव में प्रभावित हो रहे वन क्षेत्र आ रहे है, उनका सही–सही विवरण देते हुए 21 बिन्दुओं के चेकलिस्ट अनुसार पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	बैठक में उपस्थित समस्त संबंधित अधिकारीगण द्वारा उपरोक्त बिंदुओं पर परीक्षण कर निर्णय लिया गया कि वन प्रकरण के मूल प्रस्ताव अंतर्गत विद्यमान विसंगतियों का समय–समय पर जो सुधार कार्य किया गया है तद्‌नुरूप पुनरीक्षित प्रस्ताव आवेदक विभाग प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार पुनरीक्षित प्रस्ताव संलग्न है।

उपरोक्तानुसार बिन्दु क्रमांक–8 की पुनरीक्षित जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 827/ 8093 रायपुर, दिनांक 21/12/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, बिलासपुर वन मंडल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़